RAJYA SABHA

Friday, the 26th July, 2002/4 *Sravana,* 1924 *(Saka)* The

House met at eleven of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लघु और सीमान्त किसानों को ऋण

*181. श्री कपिल सिब्बल:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु एवं सीमान्त किसानों का प्रतिशत किसानों की कुल संख्या का कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्रतिशत लगभग 76 हैं;

(ग) क्या यह सच है कि किसानों के लघु एवं सीमान्त वर्ग को कृषि के लिए वितरित किए जा रहे कुल ऋण का केवल 27 प्रतिशत ही दिया जा रहा है; और

(घ) यदि नही,तो गत तीन वर्षों के दौरान किसानों के इस वर्ग को दिए गए ऋण का वार्षिक प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि संगणना वर्ष 1990-91 के अनुसार, देश में कुल प्रचलनात्मक जोतों में सीमान्त और छोटी जोतें 78.2 प्रतिशत थीं (59.4% सीमांत जोत और 18.8% छोटी जोत) बहरहाल, दोनों प्रकार की जोतें कुल प्रचालित क्षेत्र की लगभग 32% है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलबध सूचना के अनुसार विभिन्न स्रोतों से कृषि प्रयोजनों हेतु गये कुल संस्थागत ऋणों में से छोटे और सीमांत किसानों को क्रमश: वर्ष 1995-96 के दौरान 48.2 प्रतिशत, वर्ष 1996-97 के दौरान 48.7 प्रतिशत और वर्ष 1997-98 के दौरान 47.25 प्रतिशत ऋण प्रदान किये गए।

Loans to small and marginal farmers

†*181. SHRI KAPIL SIBBAL:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the percentage of small and marginal farmers among the total number of farmers in the country;

(b) whether it is a fact that this percentage is about 76;

(c) whether it is a fact that small and marginal section of farmers are being provided only 27 per cent of total loans being disbursed for agriculture; and

(d) if not, the annual percentage of loans extended to this section of farmers during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) As per Agricultural Census, 1990-91, the marginal and small holdings constituted 78.2 per cent (59.4% marginal and 18.8 per cent small), of the total operational holdings in the country. However, these two categories accounted for about 32% of the total operated area.

(c) and (d) As per information available from the Reserve Bank of India, out of the total institutional credit taken for agricultural purposes from various sources, the small and marginal farmers were extended credit to the tune of 48.2 per cent during 1995-96,48.7 per cent during 1996-97 and 47.25 per cent during 1997-98, respectively.

श्री संघ प्रिय गौतम: सर, मेरी एक प्रार्थना है कि क्वेश्चन ऑवर मे केवल एक –दो सवाल हो पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक सवाल पर तीन-चार माननीय सदस्य जल्दी-जल्दी पाइंटिड प्रश्न पूछ लें तो ज्यादा से ज्यादा सवालों को पूछा जा सकता है।

---

† Original notice of the question was received in Hindi.
†† The question was actually asked on the floor of the house by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति जी, मेरा प्रश्न बहुत सीधा था कि देश में लघु एवं सीमान्त किसानों का प्रतिशत किसानों की कुल संख्या का कितना है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह जोत के बारे में दिया है। हमने किसानों की संख्या पूछी और मंत्री जी जोत का प्रतिशत बता रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इनके उत्तर में यदि हमारे प्रश्न के अनुरुप किसानों की संख्या का उल्लेख है तो जो कृषि योग्य भूमि हैं। उसका कितना प्रतिशत लघु और सीमान्त किसानों के पास है? जो उत्तर इन्होंने दिया है यदि उसके अनुरुप इन्होंने भूमि के बारे में बताया है, तो जो मेरा मूल प्रश्न था कि किसानों की कितनी संख्या हैं,उसके बारे में हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो टोटल कृषि उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत उत्पादन लघु और सीमान्त किसानों के द्वारा होता है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें दोनों साथ-साथ हैं। जैसा कि माननीय सदस्य का प्रश्न था, उसके साथ जो हम आंकड़े देते हैं कि देश में जितनी हमारी जोत है, जिनकी जमाबंदी होल्डिंग कहते हैं, वह भी है और उसका एरिया कितना है, वह भी है और वह कुल जोत का कितना प्रतिशत है, वह भी साथ-साथ आंकड़ों में आती है।**....(व्यवधान)**.....

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':यह कोई किसानों की संख्या थोड़े ही है। आप तो जोत की संख्या बता रहे है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, किसानों की भी संख्या उसी के अनुरुप हमारे पास में आती है। ये आंकडे इसके साथ में हमारे पास आते है। उसमें जोत के साथ उनका प्रतिशत ये दोनों आते हैं। उनकी संख्या और होल्डिंग की संख्या कितनी है, ये दोनों एक साथ आते है। उसमें किसानों का प्रतिशत कितना है, वह मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। उसके आंकड़े हमारे सेंसस में आते है। मैंने पहले कहा था कि संख्या का मतलब जोत की संख्या ही है। होल्डिंग का मतलब जमाबंदी है। एक किसान की जो जमाबंदी होती है, वही किसान की संख्या होती है। जो होल्डिंग हम कह रहे हैं, होल्डिंग का मतलब किसान की वह संख्या है, उसको यह न माना जाए कि वह कोई अन्यथा संख्या है। इसीलिए वे दोनों साथ-साथ दिए हुए है। होल्डिंग का मतलब जमीन नहीं है, वह किसान की संख्या ही है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':सभापति महोदय, मैंने पूछा था कि कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उनके द्वारा होता है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, आकार के अनुसार हमारे उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। इस पर खोज करके इसकी

जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। इसकी पूरी खोज करनी पड़ेगी कि अलग-अलग यह कितना आता है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति जी, प्रश्न का जो तीसरा खंड है, उसमें हमने प्रश्न पूछा था कि गत तीन वर्षों के दौरान किसानों के इस वर्ग को दिए गए ऋण का वार्षिक प्रतिशत **क्या** है? अब गत तीन वर्षों को माननीय मंत्री जी ने 1995 से जोड़ा है। आपने 1995-96 , 1997-97 और 1997-98 के आंकड़े दिये हैं। यह उनकी गत तीन वर्षों की परिभाषा है। महोदय, गत तीन वर्षों का मतलब होता है कि ठीक पिछले तीन वर्षों के दौरान जो आपने लघु और सीमान्त किसानों को ऋण दिया है, उसका प्रतिशत बताने का कष्ट करें। क्योंकि आज जो ऋण देने की पद्धति है, वह लघु और सीमान्त किसानों के विपरीत है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो मापदंड बनाए गए है, वह सारे मापदंड वही हैं कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जो अर्हता रखते हैं, वही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। महोदय, बैक से तो ऋण वही प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन हैं। फ़िर लघु और सीमान्त किसान कहां जाएंगे? आज सारी व्यवस्था लघु और सीमान्त किसानों के विपरीत है। हम जानना चाहते हैं कि पिछ्ले तीन वर्षों का जो लघु और सीमान्त किसानों का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रतिशत बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि जो लघु और सीमान्त किसान हैं,उनको ऋण देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्पादन को बढाने के लिए सरकार कौन-कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जहां तक के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध होते हैं, उतने दूर तक के आंकड़े सदन में माननीय सदस्य के सामने हम रखते हैं। उन्होंने पिछ्ले तीन साल का कहा। जो कृषि विभाग को रिजर्व बैंक से या हमारे जो नैशनलाइज्ड बैंक होते हैं, उस सभी बैंकों से जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं, जहां तक के आंकड़े मेरे पास कृषि मंत्रालय में उपलब्ध हैं, वह आंकड़े मैंने माननीय सदस्य को दिये हैं कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी हम ऋण देते हैं, सभी मिलाकर, उसमें से 48.58 प्रतिशत कर्ज हम लघु और सीमांत किसानों को दे रहे हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':महोदय, यह आंकड़े तो दिये हुए हैं,उसको रिपीट मत करिए। जिस वर्ष के आंकड़े मंत्री जी दे रहे हैं, उस समय जी.डी.पी. का रेट 27 प्रतिशत था, जो आज 24 प्रतिशत है। मंत्री जी इन आंकड़ों को बताने के बजाए अगर पिछले तीन वर्षों के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं तो यहां पर कहें कि फ़िलहाल वह आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं, हम बाद में उपलब्ध करा देंगे। लेकिन यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पांच वर्ष पुराने आंकड़े बता दिये जाएं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैंने पहले ही उनसे निवेदन किया कि सरकार के पास जहां तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां तक के आंकड़े

माननीय सदस्य को मैंने दिये हैं। आगे के आंकड़े अगर आज की तारीख तक के आंकड़े माननीय सदस्य चाहते हैं, वह अभी हमारे पास नहीं हैं। जो आंकड़े हमें बैंकों से उपलब्ध होंगे, वही हम आपके सामने रखेंगे। हम वह उपलब्ध करने का प्रयत्न करेंगे और माननीय सदस्य को भी उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति, महोदय मंत्री जी से सवाल पूछा था खेल का और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं खलिहान का। सवाल इस बात का है कि अगर मंत्री जी के आंकड़ों को भी देखें तो सीमांत और लघु कृषकों को 1995-96 में 48.2 प्रतिशत का लोन दिया गया था, 1996-97 में 48.7 प्रतिशत लोन दिया गया था और 1997-98 में वह घटकर 47.25 प्रतिशत रह गया। यह लोन की प्रक्रिया है। अगर उनके आंकड़ों को भी देख लें, प्रश्न दूसरा पूछा था और जवाब अलग आया है,परन्तु अगर इनके आंकड़ों को भी देखें तो किसानों के साथ क्या माननीय मंत्री जी न्याय कर रहे है? माननीय मंत्री जो स्वयं किसान हैं और किसान होते हुए भी किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? इसके अतिरिक्त किसानों को इस ऋण को लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक से या जहां से भी उन्हें ऋण लेना पड़ता है, उसमें उन्हें बडी कठिनाई आती है। उसमें सरल तरीका होना चाहिए। आखिरी प्रश्न यह है कि देश में अकाल पड़ा हुआ है। किसान ने ऋण लिया और अगर उसे दुबारा ऋण लेना पड़ता है तो उसे ऋण नहीं मिलता। जबकि सरकार ने घोषित किया है कि किसानों को हम बराबर ऋण देंगे। क्या माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जो आंकड़े हमने दिए हैं, माननीय सदस्य हमसे ज्यादा अनुभवी है और प्रशासन चलाए हुए है। मैं केवल इतना ही निवेदन करुंगा कि इसमें 97-98 में 47.25 पर हम आए, ये आंकड़े स्वत: प्रमाणित कर रहे हैं कि लघु सीमांत किसान को ऋण देने में प्रतिशत कम हुआ है। इससे आगे सरकार की यह नीयत और संकल्प है कि देश के जितने लघु सीमांत किसान है, **उनकी आर्थिक स्थिति मै सुधार लाएं जो अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजति और पिछाडे वर्ग के लघु सीमात किसान लोग है**। वे सबसे अधिक इस वर्ग में आते हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और उनको ऋण देने में कई तरह की योजनाएं लेकर आए। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूँ कि जो ऋण देने में हम कई तरह की योजनाएं लेकर आए। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूँ कि जो ऋण देने का कार्य है, बैंक कर्ज देते हैं तो बैंक के अपने नियम है। लेकिन किसान को सुविधा देने से पहले एनसीडीसी की तरह से आईसीडीपी प्रोग्राम के तहत हम सारे देश में राज्य सरकारों की सहमति से कुछ जिलों को लेते हैं। उन जिलों में जो नीचे के पक्ष है, जो प्राइमरी हैं, एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी के तहत एनसीडीसी के आईसीडीपी प्रोग्राम के तहत बैंकिंग के लिए, खाद के गोदाम के लिए, आफ़िस संचालन के लिए हम सवा तीन लाख से अधिक राज्य सरकार के सहयोग से इन योजना को चला रहे हैं। जिससे इन छोटे किसानों को कर्ज लेने की सुविधा स्थानीय तौर पर मिले। इसमें राज्य सरकार

और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर जितना हम इन सहकारी संस्थाओं को अधिक सफ़ल, सक्षम और सशक्त बनाएंगे उतना ही इन छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है।

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, देश में अनेक राज्यों में अकाल है। कृषि मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है कि ऋण की माफ़ी कर दी जाएगी। जब ऋण की माफ़ी हो रही है तो दुबारा किसान को ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम से कम यह बता दीजिए। जो ऋण उसने लिया है, क्या सरकार ने उसकी माफ़ी की घोषणा, उसकी पास बुक,लोन पुस्तिका में कर दी है? अगर किसान दुबारा ऋण लेने के लिए को-ऑपरेटिव बैंक या किसी और फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको कहा जाएगा कि आपका ऋण बकाया है, आप ऋण की अदायगी नहीं कर पाए हैं इसलिए आप ऋण की अदायगी कीजिए। कृषि मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है उन सारे राज्यों में जहां किसानों पर ऋण बाकी है, वसूला नहीं जाएगा। क्या माननीय मंत्री महोदय इस संदर्भ में, इस बात की घोषणा करने की कृपा करेंगे कि उन किसानों को ऋण की वसूली नहीं होगी?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, अभी पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी ने 12 राज्यों के राजस्व और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें राज्य सरकार के कृषि , प्रश्न राजस्व और खैरात मंत्री आए थे। उन लोगों ने मिलकर एक राय बनाई। इस आधार पर माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बात कही थी कि हम अभी इस पर सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। **...(व्यवधान).....**

श्री मोती लाल वोरा: देश में इतना अकाल पड़ा हुआ है और मंत्री जी अभी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? **...(व्यवधान).....**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: हम सोच रहे हैं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार **...(व्यवधान).....**

श्री मोती लाल वोरा: यह सरकार सोचते-सोचते चली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है।**...(व्यवधान).....** मामले में सरकार सोच रही है और कार्यवाही होती ही नही है।**...(व्यवधान).....**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: राज्य सरकारों के साथ सहमति बनाकर तभी हम करेंगे....

प्रो. रामगोपाल यादव: सर, सवाल करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने खैरात मंत्री की बात कही। मैंने यह इस देश में किसी राज्य में नहीं सुना। राहत मंत्री तो सुना था। क्या खैरात और राहत मंत्री एक ही चीज है? दूसरा सवाल है**...(व्यवधान).....** इसलिए नहीं करुंगा कि तमाम भोजपुरी लोग नाराज हो जाएंगे। सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि छोटे किसान, सीमांत किसान ऋण लेते हैं खासतौर से को-ऑपरेटिव बैंक से क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बहुत सारे किसानों को मालूम

भी नहीं होता और उनके नाम पर प्रभावशाली लोग कर्ज लेते हैं। जब वसूली के लिए लोग जाते हैं तब मालूम पड़ता है और उन बेचारों को बंद रहना पड़ता है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो अभी आपने क्या कार्यवाही की है। यदि जानकारी नहीं है तो अगर जानकारी दी जाए जो क्या आप उसकी जांच कराकर ऐसे मामले में लोगों को राहत देने का काम करेंगे, दोषों लोगों को दंडित करने का काम करेंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति जी, यह सही हैं कि जो सहकारिता हैं, उसके जो अधिनियम हैं, कानून हैं वे राज्य सरकार द्वारा, अपनी सरकारी संस्थाओं के लिए बनाए गए है। राज्य सरकार की विधानसभाओं द्वारा पारित कानून के तहत ही इन सहकारी संस्थाओं का निबंधन, संचालन और प्रबंधन होता है। हम उन सहकारी समितियों को नाबार्ड, बैंक या एन.सी.डी.सी. द्वारा केवल ऋण देते हैं। उस सहकारी समिति का प्रबंधन कैसे हो, उसके बायलॉज क्या बनेंगे आदि की जिम्मेदारी उनकी है। माननीय रामगोपाल यादव जी कह रहे थे वे बातें हमारे नोटिस में आती है और हम उस राज्य सरकार से पूछते हैं कि ऐसी शिकायत आई है। वहाँ जो सदस्य बने हुए हैं, उन सदस्यों को पता नहीं है कि ये कैसे बने है। ये सब बातें देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार या को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इसकी पूरे तौर पर छानबीन करें। अगर कुछ फ़र्जी होता है, लोगों के साथ धोखा होता है तो उनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करें जो मल्टी स्टेट ऐक्ट पास हुआ है, उस ऐक्ट के तहत हम अपने यहां से निबंधन करेंगे। उनके बॉयलॉज की छानबीन करने की, निबंधन के संबंध में देखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम इस संबंध में पूरी सख्ती बरत रहे हैं कि इस तरह की कहीं कोई धोखाधडी न हो।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the minister says that the small and marginal holdings constitute 78.2 per cent. I was under the impression that it was the total acreage. But he says that it is the percentage of the farming community. Okay. Now, if 78.2 per cent of the farmers cultivate 32 per cent of the total cultivated areas, it means the rest 12 per cent are cultivating 68 per cent, of the total cultivated area in the country. Obviously, the Minister wants to convey the meaning that for a cultivated area of 32 per cent, they are providing credit to the tune of 48 per cent. Sir, my contention is, the farmers who are having big holdings may not need the credit. It is the small and marginal farmers who need the credit. In this regard, I want to know from the hon. Minister whether the credit being provided to the small and marginal farmers is in proportion to their holdings.

Secondly, Sir, in this country, agriculture contributes 28 per cent to the GDP, but the total credit exposure to agriculture in this country is not

commensurate with that. I want to know whether the Government would consider that the exposure to agricultural credit should be commensurate with its contribution to the GDP.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य के सुझाव अच्छे हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से हम उन पर विचार करेंगे क्योंकि इस संबंध में हमें और विभागों से भी राय लेनी पड़ती है। आपके सुझाव अच्छे हैं और कृषि मंत्रालय में हम इन पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस पर संपूर्ण सदन को, देश को और जो वास्तव में फ़ार्मर्स लीडर है, किसान नेता हैं, गांव में रहने वाले हैं, उन सबको भी इसकी सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि हमारे मार्जिनल फ़ार्मर्स की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि जमीन का टुकड़ा दिन-प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। जमीन के टुकड़े को छोटा होने से रोकने के लिए अलग से कई तरह के विचार आते रहे हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जब इकनॉमिक नाइट मेयर आफ़ इंडिया इट्स कॉसस एंड क्योर, भारत की भयावह अर्थ नीति पुस्तक लिखी थी तो इसमें उन्होंने विभिन्न कृषि अर्थशास्त्रियों की राय से यह सिद्ध किया था कि...(**व्यवधान**).....

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I am requesting the Minister to increase the percentage of credit to agriculture. It is totally irrelevant to this question whether you could prevent the cutting of the holdings or not. I am not asking about it. If you want to reduce the cutting of the holdings, it is well and good, i want to know whether you will consider increasing the credit to agriculture, in proportion to its contribution to the GDP.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: येस यह मैंने कहा है। यह हमारी धारणा है और हम उसके लिए सोच रहे हैं। आपके सुझावों पर कृषि मंत्रालय और वित्तीय संस्थान से विचार-विमर्श करके सोचेंगे।

श्री सी. रामचन्द्रैया: क्या सोचेंगे? अभी सोच रहे है।

MR. CHAIRMAN: Shri Sangh Priya Gautam. You are the last Member to put a supplementary on this question.There are another twenty Members who are waiting to put questions.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी,प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न में ही दे रखा है। क्या यह सच है कि यह प्रतिशत लगभग 76 प्रतिशत है। हमारे यहां 76 प्रतिशत लघु कृषक हैं और ये लघु कृषक ऐसे है कि ये इन्डिविजुअली न तो ट्रैक्टर खरीद सकते है....। न ये अपने खेत में टयूबेल लगवा सकते हैं। इन सब बातों से प्रोडक्शन में लागत ज्यादा आती है तो इनको ऋण की ज्यादा आवश्यकता है और कम ब्याज पर आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ जैसे रामचन्द्रैया जी ने भी पूछा था कि इस ऋण की संख्या और सूद की संख्या कम करने पर आप विचार करेंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जो प्रश्न है वह तथ्य भी है, सत्य भी है और वास्तविकता भी है। जो छोटे लघु और सीमांत किसान हैं वे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सभी दृष्टिकोण से कमजोर हैं। उनको अगर ऋण अधिक से अधिक देंगे तो उनको ऋण देने का सबसे सरल उपाय है सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना। ग्रामीण स्तर पर को-ऑपरेटिव मूवमेंट जितना सफ़ल होगा और को-ऑपरेटिव को जितना अधिक हम सक्षम और सशक्त बनाएंगे उतना ही लघु और सीमांत किसानों, को सरल तरीके से कर्ज मिलेगा। लघु और सीमांत किसान राष्ट्रीकृत बैंकों तक जाकर, दूर तक जाकर जो उनकी प्रक्रिया या प्रणाली है उसमें दौड़भाग करने में ये ज्यादा परेशान होते हैं। इनको सरल तरीके से, सहज तरीके से सामान्य रुप से गांवों में ही अधिक से अधिक इन कामों के लिए ऋण देना चाहिए अकेले ऋण नहीं ले सकते हैं इसलिए सहकारी आंदोलन के जरिए हम इसको करना चाहते हैं। सहकारी आंदोलन को देश में राज्य सरकारों से राय, सहयोग और परामर्श लेकर जितना मजबूत करेंगे उतना ही लघु और सीमांत किसानों को अधिक ऋण देने में और कम से कम सूद दर पर देने में सक्षम हो सकते है।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमान, आंकड़ों के मामले में मंत्री जी थोड़ा कमजोर है। हमारे देश में एक हैक्टेयर तक की भूमि रखने वालों किसानों की संख्या 62 प्रतिशत है। ये सबसे छोटे किसान माने जाएंगे। एक हेक्टेयर से लेकर चार हेक्टेयर तक रखने वालो की संख्या 18 प्रतिशत है। ये छोटे हैं और चार हैक्टेयर से ऊपर दस हेक्टेयर तक की संख्या 10 प्रतिशत है। यह हिसाब है और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो आपके लघु और सीमांत किसान है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह हकीकत है। उनको जो ऋण मिलता है आपने उस हिस्से में 47 प्रतिशत रखा है लेकिन उतना ऋण उनको नहीं मिलता है। वास्तविक रुप से उनको नहीं मिलता है। यह सारा हिसाब किताब आप जरा दुबारा से देखिए।

दूसरी बात श्रीमान मैं कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश जो बैंको के जरिए कृषि क्षेत्र में होता है वह लगातार कम होता चला जा रहा है। 1991 से 1997 तक 16.35 प्रतिशत था वह अब केवल 15 और 14 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र से जो निवेश आना चाहिए - 18 प्रतिशत आपका ऐलान है, वह 18 प्रतिशत तो हो ही नहीं रहा है, बराबर घटता चला जा रहा है। क्या मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की संख्या 18 प्रतिशत रखी गयी है किसानों के लिए, उसको पूरा करेंगे? तीसरा, जो उनमें 14 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है उस ब्याज को कम करेंगे और चौथा पिछले कुछ दिनों में तो आपने चक्रवती ब्याज लगाया है उस चक्रवती ब्याज को खत्म करेंगे? यह बता दें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, माननीय सदस्य जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं वह तो मैं पहले भी और इस प्रश्न के साथ जो उत्तर दिए गए हैं, बता चुका हूँ कि सीमांत किसान जिनको कहते हैं, हमारी कृषि संगणना के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक

59.4 परसेंट एक हेक्टेयर से नीचे है और एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर के बीच जिनको हम लघु किसान कहते है, स्माल फ़ार्मसे वे 18.8 प्रतिशत है। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो टोटल कहना चाहिए कि उसमें 78 परसेंट जो फ़ार्मर्स हैं वे स्माल एण्ड मार्जिनल फ़ार्मर्स हैं। यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन इनकी सख्या में जमीन क अगर आंकड़ा लेकर हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 78 परसेंट है लेकिन इनकी संख्या में जमीन उस अनुपात में नहीं है। जोत की जमीन में उनका प्रतिशत कम है तो ये कम जमीन वाले अधिक संख्या में कम जमीन जोत रहे हैं और इनके लिए जो आपने कहा कि 14 परसेंट या 16 परसेंट ऋण देना चाहिए। तो भारत सरकार की तरफ़ से बहुत पहले से, यह नहीं कि मेरी सरकार के समय से, इससे पहले से ही हम उस पर अधिक जोर दे रहे हैं और इसको और अधिक कैसे कारगर बनाएं। लेकिन उनको सिंचाई सुविधा के लिए 50 प्रतिशत जो हम अनुदान देते चले आ रहे हैं, वह लघु सीमान्त किसान को ही दे रहे है, ड्रिप इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलिंग इरीगेशन के लिए, डिवेलपमेंट ऑफ़ माइक्रो वॉटर सैट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ स्प्रिंकलिंग सैट के लिए, जो हमारे टैक्नोलोजी मिशन के अलग-अलग है, उनमें अलग-अलग तरह से इन लघु सीमांत किसानों को राज्य सरकार के डीआरडीए के थ्रू हम बांटने का काम कर रहे हैं। अब वह डीआरडीए के द्वारा जो हमारी सुविधा वहां तक जाती है, वह कितने सक्षम हैं या अक्षम हैं, उनमें कितनी कमी है या क्या है, उसमें माननीय सदस्य और राज्य सरकार मिल करके अगर हम कोशिश करें कि उसमें जहां तंत्र में कोई कमी है, उसको कैसे निकाला जा सकता है, तो वह निकाला जाना चाहिए। उस तंत्र में कहीं न कहीं से कमजोरी अवश्य है, जिसको सुधारने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार और माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहिए।

श्री रमा शंकर कौशिक: सार्वजनिक निवेश जो 18 प्रतिशत सरकार ने तय किया है, क्या उसको सुनिश्चित करेंगे कि वह सार्वजनिक निवेश कृषि में इतना हो, जो कि नहीं हो रहा है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, कृषि मंत्री की हैसीयत से और एक किसान की हैसीयत से निरंतर हम अपने बैंक से आर. बी. आई. से या दूसरे वित्तीय संस्थाओं से हमारे कृषि मंत्रालय की अपनी यह मांग जारी रहती है और सतत् प्रयत्न करते रहते है कि सरकार के जितने भी निवेश हो रहे है, कुल वित्तीय संस्थाओं द्वारा, उनको अधिक कृषि क्षेत्र में कैसे लायें, चाहे एन.सी.डी.सी. की मॉर्फ़त हो या को-आपरेटिव की मॉर्फ़त हो या भारत सरकार के अन्य हमारे जितने टैक्नोलोजी मिशन है, उनकी मॉर्फ़त हो हम कोशिश करते है कि अधिक से अधिक कृषि पर इस निवेश को कराने में सफ़ल हों। लेकिन यह केवल कृषि मंत्रालय से ही नहीं होगा, आप सबका सहयोग भी आवश्यक है। महोदय, एक बात जरुर है, हमारे साथी रमा शंकर जी जानते है कि किसान जितने गांव के अंदर हैं, अगर इन फ़ार्मर्ज की राष्ट्रीय स्तर पर लाबी बन जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जातीयता और सांप्रदायिकता के बीच यह किसान ही बटता है और जब तक किसान उस जातीयता और सांप्रदायिकता के दलदल में फ़ंसा व बटा रहेगा, जब तक वह राजनीतिक के क्षेत्र में